राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या - 52/2014/कोटा.

मैसर्स दामोदरटेक इन्टरनेशनल प्राo लिमिटेड, 239, बृजराजपुरा, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा.

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एम.शर्मा, अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/10/2015

निर्णय

द्वारा श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

अपीलार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2377/2011/कोटा में पारित निर्णय दिनांक 24.02.3014 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसे आलौच्य अवधि में मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जिसे आगे 'NPCIL' कहा जायेगा) रावतभाटा एटॉमिक पॉवर स्टेशन 1 से 6 द्वारा वर्क ऑर्डर संख्या 61957 No. RAPS-1 to 6/RRS/Elect. (G.S.)92240/2009S/1119 दिनांक 02.02.2009 से Work order for "Supply, installation, testing and commissioning of

electric system and electrical equipments required for 33/11KV substation at residential colony of NPCIL, Rawatbhata Rajasthan. The value of the work works out to Rs. 3,79,09,406/- inclusive of Service tax प्राप्त हुआ है तथा Work Order No. 61983 No. RRS/GS/E;ect/Cpmst//92240/S/126 दिनांक 12.03.2009 से Work order for "Supply, transportation, handling and storage at site, erection, testing and commissioning of 33 KV two separate over head lines from 230/33/KV Sub-station of RAPP-5&6 plant site to residential colony at NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site. The value of the work works out to Rs. 7,25,63,325/-inclusive of Service tax प्राप्त हुआ। दोनों ही कार्य संविदाओं के क्लॉज 1.1 व 2.0 इस प्रकार हैं :—

प्रथम कार्य के लिये -

- 1.1 Item No. 1.6.1, 1.8.1 to 1.8.10, 1.8.12, 1.8.14, 1.9.1, 1.9.2.1, 1.11, 1.12, 2.2, 2.8.1 to 2.8.10, 3.1, 3.3 to 3.11, 4.1.1 to 4.4.1.2, 4.4.3.1, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.5, 4.7.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 6.21.1, 6.21.2, 6.32, 6.33.5, 6.40 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1042 A dated 18-11-2008)
- 2.0 The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender specifications and schedule of quantities.

द्वितीय कार्य के लिये -

- 1.1 Item No. 6, 13, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2 and 15.3 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1056-T/2008 dated 29.01.09)
- 2.0 The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender specifications and schedule of quantities.

इन कार्यों को अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (63)एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.8.2006 (जिसे आगे 'अधिसूचना' कहा जायेगा) की सूची के आईटम नं0 3 "works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material" में Rate of exemption fee 2.25% of the total value of the contract अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को E.C. के लिये आवेदन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अवार्डेड कार्य अधिसूचना की क्रम संख्या 3 के तहत नहीं मानकर आईटम संख्या 4—Any other kind of works contract not covered by item no. 1, 2 & 3. में Rate of E.C. 3.00% of the total value of the contract निर्धारित करते हुए आदेश दिनांक 26.2.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित इस आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 24.02.2014 की करते हुए अपील अस्वीकार की गई है।

संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पेज 3 के पैरा संख्या 3 की भाषा से स्पष्ट है कि कर बोर्ड के माननीय सदस्यगण value of statues को समझने में असमर्थ रहे हैं। उनका कथन है कि अपील सुनवाई के समय लिखित में बहस (arguments) प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें अधिसूचना संख्या एफ12(63)एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.08.2006 पर विचार किये बिना ही अपील को निर्णीत किया गया है। उनका कथन है कि कर बोर्ड के माननीय सदस्यगण ने निर्णय पारित करते समय हल्के (frivolous) विचार दिमाग में रखे हैं। उन्होंने उक्त आधार पर निर्णय दिनांक 24.02.2014 में रिकार्ड से भूल परिलिक्षित (apparent mistake on the face of record) होती है,जो संशोधन योग्य है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय पत्रावली पर उपलब्ध कार्य आदेशों के 'जी' शिड्यूल अनुसार Finished Goods के Supply व installation व अन्य अनुषंगी कार्य है। कार्यादेश संख्या 61983 में 'जी' शिड्यूल के क्रम संख्या 1—8 तक माल सप्लाई व क्रम संख्या 9—16 तक माल व installation etc. के कार्य हैं। इसी प्रकार कार्यादेश संख्या 61957 में क्रम संख्या 1 से 1.8.14 तक माल सप्लाई तथा 1.9 में Earthing System 1.10 में Steel supply से सम्बन्धित है, जो अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 4 में कार्यादेश से सम्बन्धित होने के कारण ई.पी. 3.00 प्रतिशत देय है। उनका कथन है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने अधिसूचना

दिनांक 11.08.2006 एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात निर्णय दिनांक 24.02.2014 पारित किया है, जो अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधनीय नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

जभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं निर्णय दिनांक 24.02.2014 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने Grounds of rectification के बिन्दु संख्या एक में निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पेज संख्या 3 के पैरा 3 के सम्बन्ध में अंकित किया है कि माननीय सदस्यगण value of the statues समझने में असमर्थ रहे हैं एवं अधिसूचना संख्या एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005—80 दिनांक 11.08.2008 पर कोई विचार नहीं किया है। निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पेज संख्या 3 के पैरा संख्या 3 में अपीलार्थी की ओर से अपने पक्ष में अपील सुनवाई के दौरान तर्क प्रस्तुत किये है, जो निम्न प्रकार है:—

"अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एम. शर्मा ने कथन किया कि अधिसूचना के आईटम संख्या 3 में मशीनरी के साथ PSPO को भी शामिल किया गया है। PSPO (Power System Planning and Operation). The electric power system is defined as the system with the good to generate and to transmit the electric power user via the transmission system to the electric power end users शामिल है।"

उक्त प्रकार से अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के पश्चात कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने निम्न निर्णय पारित किया है :-

''उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कार्य आदेशों के 'जी' शिड्यूल अनुसार Finished Goods के Supply व installation व अन्य अनुषंगी कार्य है। कार्यादेश संख्या 61983 में 'जी' शिड्यूल के क्रम संख्या 1—8 तक माल सप्लाई व क्रम संख्या 9—16 तक माल व installation etc. के कार्य हैं। इसी प्रकार कार्यादेश संख्या 61957 में क्रम संख्या 1 से 1.8.14 तक माल सप्लाई तथा 1.9 में Earthing System 1.10 में Steel supply से सम्बन्धित है। इस प्रकार 'जी' शिड्यूल को समग्रता से देखने से प्रतीत होता है कि कार्यादेशों में मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना की आईटम संख्या 4 में कार्यादेश से सम्बन्धित होने के कारण तदनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने E.C. Fee निर्धारण विधि अनुकूल किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।"

-5-संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या - 52/2014/कोटा

उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 24.02.2014 पारित करने से पूर्व अधिसूचना दिनांक 11.08.2008 एवं जी शिड्यूल का पूर्ण रूप से अवलोकन करने के पुश्चात निष्कर्ष दिया है कि कार्यादेशों में मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं है बल्कि माल सप्लाई से सम्बन्धित है इसलिए अधिसूचना की संख्या 4 आईटम से कवर होने के कारण उसी अनुसार ई.सी.फीस निर्धारण किया गया है,इसलिए यह कहना कि माननीय सदस्यगण ने निर्णय दिनांक 24.02.2014 पारित करते हुए value of the statues समझने में असमर्थ रहे और माननीय सदस्यगण ने निर्णय पारित करते समय हल्के (frivolous) विचार दिमाग में रखे हैं, उचित नहीं है। निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पठन से कोई रिकार्ड से भूल परिलक्षित नहीं होती है,जिसे


यहां भी उल्लेख किया जाता है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं संशोधित किया जा सके। भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उक्त धारा के अन्तर्गत निर्णय का पुनरावलोकन किया जाने का उल्लेख नहीं है। अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है :--

"33. Rectification of a mistake. - (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify suo moto or otherwise any order passed by him."

इस सम्बन्ध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्भृत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax



Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8. The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contexst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the

2

present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said

conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority tob rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for.When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impunged order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित देन विकर्

पत्रावलों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उपायुक्त(अपील्स) स्तर पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एम.एम.शर्मा, अभिभाषक एवं कर बोर्ड में श्री वी.के.पारीक,अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात ही आदेश पारित किये गये हैं, इसलिए यह कहना कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है,स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्को एवं अधिसूचना दिनांक 111.08.2006 पर पूर्ण रूप

3

—8—संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या — 52/2014/कोटा.

से विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय पारित किया है। प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात निर्णय दिनांक 24.02.2014 में रेकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होने से अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित निर्णय के आलोक में संशोधनीय नहीं है। उपरोक्तानुसार संशोधन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया। (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य

(सुनील शर्मा) सदस्य